न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 108 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कानाराम पुत्र उदाराम 2. दुर्गाराम पुत्र उदाराम 3. चमूदेवी पत्नी उदाराम 4. पेमाराम पुत्र चिमनाराम 5. घेवर पुत्र रूपाराम 6. प्रहलाद पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	बनाम 1.भारमल पुत्र रामजी 2.लाखा पुत्र रामजी 3.जुगता पुत्र रामजी 4.गोकला पुत्र रामजी जाति सुथार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 5.रामाराम पुत्र नेतसीराम 6.लक्ष्मणराम पुत्र नेतसीराम 7.कृष्णराम पुत्र नेतसीराम 8.पातुदेवी पत्नी नेतीसराम जाति भील निवासी लोलावा तहसील सिणधरी 9.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

उपस्थित

1. वकील श्री खेताराम सैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से।

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 113 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. रामाराम पुत्र नेतसीराम 2. लक्ष्मणराम पुत्र नेतसीराम 3. कृष्णराम पुत्र नेतसीराम 4. पातुदेवी पत्नी नेतीसराम जाति भील निवासी लोलावा तहसील सिणधरी	बनाम 1.भारमल पुत्र रामजी 2.लाखा पुत्र रामजी 3.जुगता पुत्र रामजी 4.गोकला पुत्र रामजी जाति सुथार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 5.कानाराम पुत्र उदाराम 6.दुर्गाराम पुत्र उदाराम 7.चमूदेवी पत्नी उदाराम 8.पेमाराम पुत्र चिमनाराम 9.घेवर पुत्र रूपाराम 10.प्रहलाद पुत्र रूपाराम जाति नाई निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 11.श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व आवेदन संख्या 33 / 2017 बअनवान भारमल वगैरा बनाम कानाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित

1. वकील श्री भाखराराम गोदारा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चैनाराम सारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 07.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 179 रकबा 27.01 बीघा ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 181 रकबा 16.04 बीघा, प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2016 को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2017 को अपीलांटगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि खसरा संख्या 181 व 182 के मध्य मकान, ढाणी को छोड़ते हुऐ एवं दोनों खसरान की सीमाओं में आधी–आधी भूमि के प्रस्ताव परीक्षण कर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई के आद निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्राप्त होने के बावजूद भी पत्रावली दिनांक 23.06.2017 को कैम्प कोर्ट लोलावा में रखी गई जिस बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांटगण की अनुपस्थित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के नोटिस अपीलांटगण से कभी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ, जिस कारण अपीलांटगण को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्राप्त होने के बावजूद भी पत्रावली दिनांक 23.06.2017 को कैम्प कोर्ट लोलावा में रखी गई जिस बाबत अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांटगण की अनुपस्थित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में पेश मौका रिपोर्ट जिसमें अंकित किया गया है कि "मौके पर जहां से रास्ता चाहा गया है, वहां बीचोबीच पक्की ईटों से मकान बना हुआ है एवं मौके पर रासता चालू नहीं है।" के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी व विधिक प्रक्रिया का पालन न करते हुऐ अपनी मनमर्जी से गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 179 रकबा 27.01 बीघा ग्राम लोलावा तहसील सिणधरी में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया। अरसा 20 दिन पूर्व हल्का पटवारी व आर आई मौके पर आये तथा अपीलांटगण की भूमि से जबरन रास्ता निकालने का प्रयास करते हुए अपीलांट के पक्के मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया जाने लगा, जिस अपीलांटगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तो हल्का पटवारी ने बताया कि दुबारा आपके खेत से रास्ता निकालने का आदेश पारित हो गया है, इसलिये हम रास्ता निकालने की कार्यवाही करेंगे। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दिनांक 11.12.2017 को नकलें प्राप्त की तब सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं तथा अपील पेश करने में हुई देरी संतोषप्रद नहीं है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण अपील पेश करने में हुई करीबन 06 माह की देरी सद्भाविक नहीं है। फिर भी इसका निस्तारण प्रस्तुत बहस एवं तथ्यों के आलोक में गुणावगुण के आधार पर भी किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मामला न्यायालय हाजा से प्रतिप्रेषित होकर अधीनस्थ न्यायालय में निर्देशानुसार विचारण हेतु गया। निर्देशानुसार रास्ता निर्दिष्ट दोनो (खसरा संख्या 181 व 182) खसरों में से आधी–आधी भूमि (06–06 बिस्वा) दिया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। परीक्षण किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय हाजा के आदेशों की अक्षरशः पालना करते हुए पारित किया है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः लिहाजा अपीलांट की अपील मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व आवेदन संख्या 33/2017 बअनवान भारमल वगैरा बनाम कानाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 23.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नखतवान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner